हरियाणा सरकार राजपत्र

असाधारण

प्राधिकृत द्वारा प्रकाशित

हरियाणा सरकार

सं0 31–2017ई0एक्स0टी0] चंडीगढ़, बुधवार, 1 अगस्त, 2023 (आश्विन 26, शक संवत् 1945)

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता, विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2017

सं0. 761–एस0डब्लयू0 (4) 2017.– हरियाणा के राज्यपाल ''हरियाणा माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण नियम, 2009 के अंर्तगत वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण–पोषण एंव अपीलिय अधिकरणों के संचालन'' की योजना, जोकि माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एंव कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 32 की उप–धारा 1 और 2 के अंतर्गत अधिसूचना सं0 एस0ओ0.54/सी0ए0 56/2007/एस0.32/2009 दिनांक 19.06.2009 द्वारा अधिसूचित की गई थी, को अधिसूचित करते हैं।

हरियाणा माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण नियमावली, 2009 अपेक्षित करते है कि यहां प्रत्येक उप–मण्डल दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में भरण–पोषण अधिकरण (एक सरकारी सदस्य और दो गैर–सरकारी सदस्यों) होने चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उनकी संबंधित अधिकार–क्षेत्र के अधीन जिला

मैजिस्ट्रेट सरकारी सदस्य और दो मनोनित गैर–सरकारी सदस्यों सहित वरिष्ठ नागरिक अपीलिय अधिकरण होने चाहिए। दोनो अधिकरणों के गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल/कर्तव्य ''हरियाणा माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण नियम, 2009'' में विनिर्दिष्ट किए गई शर्तो अनुसार होगा।

इसके अतिरिक्त हरियाणा माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण नियमावली, 2009 की धारा 3.5 के अतंगर्त यह भी प्रावधान है कि अधिकरण के सदस्यों को यात्रा भत्ता अथवा बैठक भता अथवा मानदेय अथवा जोकि पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित किया जा सकता है, भुगतान किया जाएगा परंतु यह भत्ता 500 रूपये प्रति बैठक से कम नहीं होगा।

इसी प्रकार, नियमावली की धारा 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकरण धारा 6 की उप–धारा (6) के अतंगर्त सुलह अधिकारी के रू‍प में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगा, जिसमें धारा 18 के अतंगर्त नामित भरण–पोषण अधिकारी शामिल होगें और धारा 5 में यह भी प्रावधान है कि सुलह अधिकारी को, इस द्वारा निपटान किए गए प्रत्येक प्रकरण पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित होगा परंतु प्रति प्रकरण 1000 रूपये से कम नही होगा।

सदस्यों का मानदेय निम्नानुसार देय होगाः–

i.	भरण–पोषण और अपीलिय	:	500 रूपये प्रति बैठक
ii.	सुलह अधिकारी	:	1000 रूपये प्रति बैठक

उक्त सदस्यों/सुलह अधिकारियों के मानदेय का भुगतान संबंधित उप–मण्डल मैजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त से मानदेय के बिलो की पुष्टि करने उपरांत संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

विभिन्न भरण–पोषण अधिकरण और अपीलिय अधिकरण उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के अधीन गठित किए गए है। साप्ताहिक भरण–पोषण अधिकारणों और अपीलिय अधिकारणों

और सुलह अधिकारियों की कम से कम प्रति माह दो प्रकरणों में हुई बैठक में हुआ व्यय निम्नानुसार होंगाः–

i.	भरण–पोषण अधिकरणों के मानदेय हेतु	52 सप्ताह (2*62*500*52)	32.24 लाख रु0
ii.	अपीलिय अधिकरणों के मानदेय हेतु	26 सप्ताह ((2*21*500*26)	5.46 लाख रु0
iii.	सुलह अधिकारियों के मानदेय हेतु	62*2*12*1000	14.88 लाख रु0
iv.	लेखन सामग्री, आकस्मिक व्यय और प्रशासनिक शुल्क		7.42 लाख रु0
	कुल		**60.00 लाख रु0**

इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित पूर्ण व्यय का वहन "2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–भाग–I–राज्य की योजनागत योजना–(90)– हरियाणा माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण नियमावली, 2009 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों हेतु भरण–पोषण एंव अपीलिय अधिकरणों का संचालन– वस्तु मद (87) मानदेय–60–गैर–सरकारी स्दस्यों को टी0ए0/डी0ए0–एस0 जे0 ई0 (योजनागत) मद से होगा।

चंडीगढ
18 जुलाई, 2017

अनिल कुमार
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग